ट्रान्सपोर्ट नगर – मोगड़ा कलां – खसरा संख्या 142 व 295

1. राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा संख्या 142 व 295 की रकबा 601–12 बीघा भूमि में से 336 बीघा भूमि जो कि मुख्य पाली रोड़ पर स्थित है, पर ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल मार्केट योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।

2. इस योजना में कुल 1089 भूखण्ड प्रस्तावित किये गये है, जिनको ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को आवंटित किया जाना है।

3. उक्त मोगड़ा कलां योजना की आरक्षित दर 3400/– वर्गगज है। चूंकि उक्त योजना व्यवसायिक है। अतः नियमानुसार प्रचलित आरक्षित दर की दुगुनी दर 6800/– वर्गगज पर उक्त भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। अतः उक्तानुसार 1,32,43,70,400/– रूपये की लगभग जोधपुर विकास प्राधिकरण को आय होती है। साथ ही इस योजना में विकास कार्य करवाये जाने पर लगभग 30 से 40 करोड़ रूपये खर्चा आता है। उसके उपरान्त भी जे.डी.ए. को लगभग 90 करोड़ की शुद्ध आय होंगी।

4. औद्योगिक क्षेत्र बासनी में बढ़ते भारी वाहनों के दबाव एवं प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा (महेन्द्र लोढ़ा बनाम सरकार) बासनी में स्थित ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है।

5. राज्य सरकार के द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा भी यातायात एवं प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु इसे अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये है।

6. राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा संख्या 142 व 295 की किस्म जमाबंदी में गैर–मुमकिन गोचर है, जिसका भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन कमेटी 2010 एवं माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से करवाया जा चुका है।

7. प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक – 2 मई, 2013 के प्रस्ताव संख्या 20 में उक्त योजना को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

8. राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द में ऑटोमोबाईल एवं ट्रांसपोर्ट योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अत्यधिक सहायक होंगी।

9. प्रकरण राज्य सरकार को Urban Disposal Rules 1974 के Sec. 18-B के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जा चुका है।

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर